

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड, नजदीक मिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001

दूरभाष / फैक्स नं 01662.259489

email address-wstcrcl@yahoo.com

क्रमांक FCA / 105

दिनांक 25/04 / 2023

सेवा में,

अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :—

Diversion of 0.1785 ha. of forest land for access of permission for transportation of mining area at village Khanak, Under Forest Division and Distt. Bhiwani.


सन्दर्भ :—

आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक डी-तीन-10371 / 3871 दिनांक 24.02.
2023.

-0-0-0-

सन्दर्भाकित पत्र द्वारा आपने व०म०अ०, भिवानी द्वारा भेजे गये मद न० ३ की सूचना को Examine करने उपरांत स्पष्ट सूचना भेजने बारे निर्देश दिये गये थे। व०म०अ०, भिवानी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव में शामिल भूमि अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, जो कि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) विभाग से वन विभाग को स्थानान्तरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमार्झश होने उपरांत ही स्थानान्तरण हुई वास्तविक भूमि का पता चला है और तदोपरांत ही यूजैर एजैन्सी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और प्रस्ताव में Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

अतः निम्नहस्ताक्षरी द्वारा केस को Examine करने उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त प्रस्ताव में शामिल वन भूमि लोक निर्माण विभाग से स्थानान्तरण हुई है, जो कि स्टोन कैशर की भूमि होती थी और खानक पहाड़ के बिल्कुल साथ लगती है, जो कि ऊंची-नीची है। इसलिए बिना पैमार्झश के इस भूमि का सही पता लगाना सम्भव नहीं था। यूजैर एजैन्सी द्वारा जिस तिथि से वन भूमि का प्रयोग रास्ते हेतु किया जा रहा है, उसी तिथि से Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है। अतः यूजैर एजैन्सी से Penal CA की राशि प्राप्त करके प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना उचित होगा।


वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार।